# कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गवका की चौकी, करौली-322241,फोन न 07464-297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

दिनांकः—23/08/2022

क्रमांकः—एफ( )वसु/उवसं/2022—23/ 5393

निमित,

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड करौली, राजस्थान

विषयः—Diversion of 0.6165 ha. Of forest land in favour of Public Work Department Karauli for Construction of Road from Kota to Pator Km 0/0 to 3/000

प्रसंगः—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 268 दिनांक 23.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आलोच्य प्रकरण में इस कार्यालय के उक्त प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आक्षेप लगाए गए थे, जिनकी आप द्वारा e-parivesh portal पर दिनांक 19.07.2022 को समस्त आक्षेपो की पूर्ति किया जाना वर्णित है। परन्तु आज दिनांक तक प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है, जिससे उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है।इसलिए आपको उक्त प्रकरण e-parivesh portal पर पुनः वापस भेजा जा रहा है।

अतः आप पूर्व में लगाए गए समस्त आक्षेपो की पूर्ति कर हार्ड प्रति 6 प्रति में इस कार्यालय में जमा करावें, ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

क्रमांकः—एफ( )वसु/उवसं/2022—23/ दिनांकः— / /2022

प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
करौली

E:\FCA\Kota To Pator Road 35272\Latter.Docx

(52)

# कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी करौली, Phone & Fax No. 07464-297003, Email- dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ ( )सर्वे/उ.व.सं./2019–20/ 268 दिनांकः 23-1-2020

निमित्त :–

अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड, करौली।

विषय :– संपर्क सडक कोटा से पाटोर किलोमीटर 0/0 से 3/0 के फोरेस्ट क्लियरेंस/वाइल्ड लाईफ क्लियरेंस प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक 2347 दिनांक 11.09.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा संदर्भित पत्र के साथ संपर्क सडक कोटा से पाटोर किलोमीटर 0/0 से 3/0 के फोरेस्ट क्लियरेंस/वाइल्ड लाईफ क्लियरेंस के सम्बन्ध में प्रस्ताव की हार्ड प्रति सात प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये गये है तथा ऑनलाईन प्रस्ताव 19.12.2019 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के ऑनलाइन व हार्ड कॉपी दोनों का अवलोकन करने पर निम्न कमियॉ पाई गईः–

1. एफ.आर.ए. प्रपत्र संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न राजस्व खसरा मैप पर प्रस्तावित सडक को नहीं दर्शाया गया है और न ही चैनेजवार विवरण दिया गया है।
3. प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में प्रस्तावित सडक का क्रॉस–सैक्शन संलग्न नहीं किया गया है।
4. इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार प्रस्तावित सडक ग्राम बीजलपुर व कोटा की वन भूमि में से गुजरना पाया गया है, जबकि प्राप्त प्रस्ताव में ग्राम पाटोर, कंवरपुर व कोटा में गुजरना बताकर सिर्फ ग्राम कंवरपुर की वन भूमि से ही गुजरना बताया गया है। अतः प्रस्तावित सडक को वर्णित तीनों ग्रामों के राजस्व मैप पर दर्शाकर भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
5. STATEMENT SHOWING DETAILS OF FOREST AREA & NON FOREST AREA PROPOSED FOR DIVERSION में FOREST AREA & NON FOREST AREA को एक ही खसरे में दर्शाया गया है जबकि अलग अलग खसरो में दर्शाया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रस्ताव को मूल ही भिजवाकर लेख है कि निम्न आक्षेपों की पूर्ति कर पुनः इस कार्यालय को अतिशीघ्र भिजवायें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न – मूल प्रस्ताव की 6 हार्ड प्रति

भवदीय

o/c (श्रवण कुमार आर)
उप वन संरक्षक
करौली

क्रमांक एफ ( )सर्वे/उ.व.सं./2019–20/ 269-71 दिनांकः 23-1-2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति0प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।

o/c उप वन संरक्षक
करौली

D/skopt/Surveyer Ji/Surv letter 530